भाग ही पत्रावली [illegible]

दिनांक 9/6/2016 को पेश हो।

9/6/2016 पत्रावली पेश हुई। वादी मय वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण [illegible] पत्रावली में [illegible] [illegible] लोक अदालत कैम्प घोड़ी दिनांक 15/6/2016 को पेश हो।

15/6/2016

अमृतलाल

जीवा

पत्रावली "न्याय आपके द्वार अभियान 2016" के तहत फॉलोअप लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत - घोड़ी पर प्रस्तुत हुई। उभय पक्षकारों ने उपस्थित होकर इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र मय राजीनामा शपथ प्रस्तुत किया है कि उक्त उनवान प्रकरण में मौजा - बरना की काश्तकारी भूमि आराजी नं. 2730 रकबा 0.02 हेक्टे., आ. नं. 2731 रकबा 0.36 हेक्टे., आ. नं. 2734 रकबा 0.85 हेक्टे. तथा आ. नं. 2810/2734 रकबा 1.00 हेक्टे. कुल कीता - 4 रकबा 2.23 हेक्टे. भूमि बाबत विवाद को उभय पक्षकारों के द्वारा मौतबिरानों की उपस्थिति में कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया है तथा अब उभय पक्षकारों के मध्य कोई विवाद मौके पर नहीं रहा है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन

श्री अमृतलाल विपक्षी श्री जीवना पिता भावा जी

राजस्व-वाद पत्रावली संख्या 9 सन् 2016

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
अतः उभय पक्षकार एक दूसरे के विरुद्ध कोई अदालती कार्यवाही नहीं चाहते है, अतः उक्त उनवान प्रकरण को इसी स्टेज पर समाप्त कर दिया जावे।	
हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा उभय पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से अपने हस्ताक्षरों / अंगुष्ठ निशानी से निष्पादित प्रार्थना पत्र व राजीनामा प्रपत्र का अवलोकन किया तथा उपस्थित वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना / चूंकि उभय पक्षकारान् द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपने विवाद को मौतबिरानों की उपस्थिति में कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया है तथा अब उनके मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहने से प्रकरण को समाप्त कराना चाहते है।	
अतः उभय पक्षकारों की सहमति के आधार पर उनके द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर निष्पादित राजीनामा प्रपत्र को न्याय हित में स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।	
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

15/6/16

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मांग
राज
सकारी
हेतु
छोडी
के तहत
छोडी
होकर
मा
रण में
2730
0.36
तथा